फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी भदेसर जिला- चित्तौड़गढ़ (राज.)

मोहम्मद आरिफ बनाम रोशन आरा

कार्यवाही अन्तर्गत :- 212 R.T.A.

किस्म मुकदमा प्रार्थना-पत्र नम्बर 1258 सन् 2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28/12/25	प्रार्थीगण के अधिवक्ता श्री सुर्यकरण सिंह द्वारा न्यायालय हाजा में प्रस्तुत किये गये प्रकरण में साथ फाईल किये गये आवेदन को पढने के पश्चात् और उसके समर्थन में प्रस्तुत किये गये नकल जमाबंदी एवं शपथ पत्र का अवलोकन करने एवं वकील प्रार्थीगण की बहस एक पक्षीय सुनने के पश्चात् प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा सन्तुलन व अपूर्णीय क्षति प्रार्थीगण के पक्ष में प्रमाणित मानते हुए स्थगन बाबत् आदेश दिया जाकर **विपक्षीगण** को जारी अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा से आगामी दिनांक तक पाबन्द किया जाता है कि **ग्राम गाडरियो की ढाणी पटवार हल्का भदेसर की खाता संख्या 113 पर दर्ज आराजी नबर 272 रकबा 0.05 हैक्टयर, खाता संख्या 109 पर दर्ज आराजी नम्बर 270 रकबा 0.11 हैक्टयर भूमि जो विवादित है, की मौके की यथास्थिति कायम रखते हुए विपक्षीगण विवादित आराजीयात के किसी भी भू–भाग पर प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में अवैध रुप किसी प्रकार का कब्जा नहीं करें न ही किसी अन्य से करावे। इस हेतु विपक्षीगण को आगामी दिनांक तक मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबन्द किया जाता है।** इसमें यदि आपको किसी प्रकार का एतराज हो तो न्यायालय के समक्ष दिनांक **20.01.2026** को उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें। अनुपस्थिति की दशा में एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जावेगी। इसी आशय के हुक्मनामा से विपक्षीगण को जरिये रजिस्टर्ड डाक से तलब किया जावें। पत्रावली वास्ते तामील रिपोर्ट व जवाब दिनांक 20.01.2026 को हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी,	
20/01/2026	पत्रावली प्रस्तुत। प्रार्थी एवं प्रार्थी अधिवक्ता अनुपस्थित। न्यायालय समय में बार-बार आवाज लगाई गई, परन्तु कोई उपस्थित नहीं हुए है। प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली मीयाद गुजार होकर नम्बर से कम हो। (हस्ताक्षर)	